मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश के प्रमुख शहरों एवं जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को वर्तमान ट्रैफिक स्थिति को सुगम एवं सुचारू बनाने के निर्देश दिए।

जयपुर के प्रमुख चौराहों को सिग्नल फ्री करने की योजना बनायें

मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था पर बैठक में निर्देश दिये

- मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों व आमजन से सुझाव लेकर वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था विकसित करें। मानसून के बाद हीरापुरा बस टर्मीनल से बसों का संचालन किया जाए।

जयपुर, 1 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर की वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था को तुरंत सुगम एवं सुचारू बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात संचालन हेतु भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत दीर्घकालीन कार्ययोजना के लिए गृह एवं यातायात विभाग, जेडीए, शहरी विकास एवं आवासन व स्वायत्त शासन विभाग मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करें।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के प्रमुख शहरों एवं जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पुलिस एवं यातायात के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को जागरूक करते हुए ट्रैफिक सेंस को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में जयपुर शहर में वाहनों के सुगम संचालन और जाम से राहत के लिए व्यापारियों एवं आमजन से सुझाव लेकर व्यस्ततम मार्गों पर वन वे ट्रैफिक संचालन की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर के चिन्हित ऑटो और बस स्टैण्ड के स्थानांतरण को शीघ्र लागू किया जाए। इसी क्रम में हीरापुरा बस टर्मिनल से मानसून के तुरंत बाद बसों का संचालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने यातायात नियमों की सख्त पालना कराने और उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, कहा कि वाहनों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए भविष्य में प्रमुख चौराहों को चिन्हित कर सिग्नल फ्री ट्रैफिक संचालन की कार्ययोजना बनाएं। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बिहार की पूर्व मतदान सूची में 22 लाख मृत पाये गये

पटना, 01 अगस्त। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार में चलाये गये विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार पूर्व में सूची में जुड़े 22 लाख मतदाता मृत पाये गये।

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में जानकारी दी गयी कि बीएलओ की सहायता से कराये गये सर्वेक्षण में 22 लाख, 34 हजार (2.83 प्रतिशत) मतदाता मृत पाये गये, 36 लाख, 28 हजार (4.59 प्रतिशत) मतदाता स्थानांतरित हो चुके थे, सात लाख, एक हजार (0.89 प्रतिशत) मतदाताओं के नाम अन्य स्थानों पर भी पंजीकृत पाये गये।

निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस अभियान के तहत राज्य भर में बीएलओ के माध्यम से कुल सात करोड़, 89 लाख, 69 हजार, 844 गणना प्रपत्र मुद्रित करा कर संबंधित मतदाताओं के बीच वितरित किये गए थे। इनमें से 16 लाख से अधिक आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किये गये।

ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया

उन्हें 17000 करोड़ के लोन फ्रॉड व मनी लॉण्डरिंग के मामले में 5 अगस्त को पूछताछ के लिये बुलाया

- लुकआउट नोटिस तब जारी किया जाता है, जब जांच एजेन्सी को लगता है कि आरोपी व्यक्ति देश छोड़कर भाग सकता है या जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

नई दिल्ली, 1 अगस्त। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ ती दिख रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) के चेयरमैन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है। इसका सीधा मतलब है कि उन पर देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है।

ईडी ने उन्हें 17,000 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। यह कार्यवाही मुंबई और अन्य शहरों में एडीएजी की कंपनियों से जुड़े 35 से ज़्यादा ठिकानों पर ईडी की ओर से की गई छापेमारी के बाद हुई है। ईडी की जांच मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शुरू की गई है। जांच वित्तीय अनियमितताओं और लोन के गलत इस्तेमाल के एक जटिल नेटवर्क पर केन्द्रित है।

17,000 करोड़ रुपये के कर्ज धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करना और यात्रा प्रतिबंध लगाना, यह दर्शाता है कि जांच एजेंसी इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। अनिल अंबानी के खिलाफ एलओसी जारी करना सामान्य कदम नहीं है। यह तब किया जाता है, जब जांच एजेंसी को लगता है कि आरोपी व्यक्ति देश छोड़कर भाग सकता है या जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

इस कदम से सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अलर्ट जारी हो गया है। इससे अनिल अंबानी की विदेश यात्राओं पर रोक लग गई है। यह एक साफ संकेत है कि ईडी इस मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वह अनिल अंबानी की उपस्थिति को सुनिश्चित करना चाहती है।

अधिकारियों का कहना है कि यह जांच सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर और सेबी जैसे अन्य नियामक निकायों की रिपोर्ट पर आधारित है। ईडी की जांच में लोन के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर ध्यान दिया जा रहा है। विशेष रूप से, 2017 और 2019 के बीच यस बैंक की ओर से अंबानी की ग्रुप कंपनियों को दिए गए 3,000 करोड़ रुपये के लोन पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

जांचकर्ताओं ने कई अनियमितताओं की बात कही है। इसमें बैकडेटेड क्रेडिट अप्रूवल, उचित जांच की कमी और विभिन्न ग्रुपों और शेल कंपनियों के फंड का गलत इस्तेमाल शामिल है।

ट्रंप को जवाब -भारत अमेरिका से एफ-35 लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगा

वाइट हाउस में फरवरी 2025 में ट्रंप ने मोदी से ये विमान खरीदने की पेशकश की थी

- रिपोर्ट के अनुसार भारत घरेलू स्तर पर रक्षा उपकरणों के संयुक्त डिज़ाइन और निर्माण पर केन्द्रित पार्टनरशिप में ज्यादा रुचि रखता है। भारत की ओर से अब तक ट्रंप की पेशकश का जवाब नहीं दिया गया।

नई दिल्ली, 1 अगस्त। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लगातार चर्चा जारी है। हालांकि, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि, इस बीच भारत की ओर से भी बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अमेरिका के एफ-35 लड़ाकू विमान को खरीदने से इनकार कर दिया है।

ब्लूमबर्ग ने अधिकारियों के हवाले से जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स की खरीद में तेजी लाने पर विचार करने के बावजूद, भारत सरकार द्वारा अमेरिका से एडिशनल डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदने की संभावना नहीं है। ब्लूमबर्ग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अमेरिका को सूचित कर दिया है कि वह एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने का इच्छुक नहीं है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फरवरी 2025 में अमेरिका की यात्रा की थी और व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी।

इस दौरान ट्रंप ने भारत को एफ-35 लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया है कि भारत सरकार घरेलू स्तर पर रक्षा उपकरणों के संयुक्त डिजाइन और निर्माण पर केंद्रित पार्टनरशिप में ज्यादा रुचि रखती है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने अब तक इस बारे में जवाब नहीं दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अगस्त से भारत से आयातित उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने रूस से आयात करने के लिए भारत पर दंडात्मक उपाय के तौर पर जुर्माना लगाने की भी घोषणा की, यह 25 प्रतिशत शुल्क से अलग होगा। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने भारत के साथ अपेक्षाकृत 'कम व्यापार' किया है, क्योंकि उसके शुल्क बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप ने आगे कहा- "भारत ने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का बड़ा हिस्सा रूस से खरीदा है, और चीन के साथ रूस के ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं, जबकि हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं बंद करे।"

'दिल्ली में अब कोई झुग्गी नहीं हटेगी'

नयी दिल्ली, 01 अगस्त। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि राजधानी में अब कोई भी झुग्गियां नहीं हटायी जायेंगी और इसके लिए रेलवे तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) सहित सभी सरकारी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। गुप्ता ने कहा कि अगर विकास कार्य आदि को लेकर झुग्गी हटाई भी जाती है, तो उन्हें पहले वैकल्पिक आवास दिया जाएगा। राजधानी के बाहरी इलाकों में सालों पहले बने करीब 50 हजार मकानों को संवारकर उन्हें झुग्गी वालों को देने का निर्णय कर लिया गया है। उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो सरकार झुग्गी बस्तियों पर बनी नीति में बदलाव करेगी और झुग्गी वालों का आवास बचाने के लिए कोर्ट भी जाएगी। उन्होंने कहा , दिल्ली में बसी झुग्गियां देश की राजधानी का एक अनिवार्य अंग हैं। इनका दिल्ली में वर्षों से निवास हैं। विपक्षी पार्टी ने हमेशा से ही झुग्गी वालों को वोट बैंक की राजनिति में फंसाए रखा है, लेकिन हमारी सरकार उनको सही मायनों में दिल्ली का निवासी बनाने के लिए लगातार गंभीर प्रयास कर रही है।

शाहरुख खान, विक्रांत मैसी व रानी मुखर्जी को राष्ट्रीय पुरस्कार

दिल्ली में 71 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा

- शाहरुख खान को फिल्म ''जवान'' तथा मैसी को ''12 वीं फेल'' के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। रानी मुखर्जी को ''मिसेज़ चटर्जी वर्सेज़ नॉर्वे'' के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है।

नयी दिल्ली , 01 अगस्त। किंग खान के नाम से मशहूर शाहरूख खान और अभिनेता विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

राजधानी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में शुक्रवार को 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की घोषणा की गई। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। शाहरुख को उनकी फिल्म जवान और विक्रांत को 12वीं फेल के लिए अवॉर्ड मिला है। रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। फिल्म 'कटहल' को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिये चुना गया है।

करण जौहर की 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' को संपूर्ण मनोरंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित '12वीं फेल' को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया, जबकि 'द केरला स्टोरी' के लिए सुदीप्तो सेन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवॉर्ड अपने नाम किया।

सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। 'सैम बहादुर' को वेशभूषा और मेकअप के लिए भी सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी (हिंदी) के लिये कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट को मिला।

फ्लॉवरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म का पुरस्कार; गॉड वल्चर एंड ह्यूमन को सर्वश्रेष्ठ वृत्तिचत्र का पुरस्कार मिला । विजयराघवन और मुथुपेट्टई सोमू भास्कर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तथा उर्वशी और जानकी बोडीवाला ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। हनु-मान को (एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक) में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार गिद्ध द स्केवेंजर को मिला।

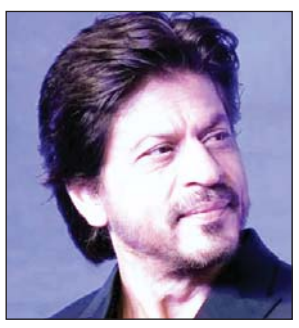

शाहरुख खान

विक्रांत मैसी

रानी मुखर्जी

कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप का दोषी माना

बैंगलुरु की विशेष अदालत में शनिवार को सजा सुनाई जायेगी

- प्रज्वल रेवन्ना जनतादल (सैक्यूलर) के नेता हैं तथा हासन लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पौत्र तथा कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना के पुत्र हैं।

मैसूरु, 1 अगस्त। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप के मामले में दोषी ठहराया गया है। यह मामला हासन जिले के होलेनरसिपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहला रेप केस था। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यह केस काफी चर्चा में रहा था। अब इस मामले में सजा का ऐलान शनिवार को होना है। बेंगलुरु की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही है।

बेंगलुरु स्थित एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने 18 जुलाई को बलात्कार मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी तथा अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सजा का ऐलान अब शनिवार (2 अगस्त) को होना है। रेवन्ना पिछले साल दर्ज किए गए चार आपराधिक मामलों में मुख्य आरोपी हैं। जब 2,000 से अधिक अश्लील वीडियो क्लिप, जिनमें कथित तौर पर कई महिलाओं के यौन शोषण को दर्शाया गया था, सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। रेवन्ना के खिलाफ पहली शिकायत अप्रैल 2024 में एक महिला ने दर्ज कराई थी, जो उनके परिवार के फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। उसने रेवन्ना पर 2021 से बार-बार बलात्कार करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर दुर्व्यवहार के वीडियो जारी करने की धमकी देने का आरोप लगाया था।

'चाहे आप रिटायर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करना जारी रखने का आग्रह करता है। इन बयानों को नज़रअंदाज करना ही सबसे अच्छा है।"

मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वे भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, जो उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में नहीं करना चाहिए।

राहुल गांधी अगले सप्ताह कर्नाटक के अपने दौरे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे, जहाँ उनसे चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी के संबंध में कुछ विस्फोटक खुलासे की उम्मीद है। इस सब का निशाना है बिहार में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण और वो तरीका, जिससे बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए को लाभ पहुंचाने के लिए लाखों मतदाताओं को सूचियों से हटा दिया गया है।

विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को इसी सत्र में समाप्त कर देना चाहता है, ताकि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल जैसे अन्य चुनाव वाले राज्यों में भी ऐसा ही न करे।

लेकिन यह स्पष्ट है कि राहुल की स्पष्ट और सटीक बात, और नरेन्द्र मोदी की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आक्रामकता, मोदी और उनकी टीम के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है।

राज्यसभा में सीआईएसएफ कर्मियों की उपस्थिति का विरोध

नई दिल्ली, 1 अगस्त। विपक्ष ने राज्यसभा में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सदन के बीचोंबीच केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कर्मियों को भेजे जाने का आरोप लगाते हुए इसका कड़ा विरोध किया है और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उप सभापति हरवंश को पत्र लिख कर यह मुद्दा उठाया है। खड़गे ने सभी विपक्षी दलों की ओर से लिखे पत्र में कहा है कि कल और आज सदन में सदस्य जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान दिखा कि सीआईएसएफ के कर्मी अंदर बीचोंबीच आ कर खड़े हो गये थे।

'एसटी वर्ग की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता, जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पैदा करता हो। अनुच्छेद 14 महिलाओं के लिए समानता की गारंटी देता है।

याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता लखन शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता अपने पिता की इकलौती संतान है। उसने अपनी पैतृक संपत्ति में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए उपखंड अधिकारी के समक्ष वाद दायर किया था। इस दौरान, प्रतिवादी ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, की धारा 2(2) के प्रावधानों के आधार पर सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत अर्जी पेश कर वाद खारिज करने की मांग की। प्रतिवादी ने कहा कि यह अधिनियम एससी वर्ग के सदस्यों पर लागू नहीं होता। इस अर्जी को एसडीओ ने खारिज कर दिया। इसके खिलाफ प्रतिवादी ने राजस्व मंडल में याचिका पेश की, जिसे मंडल ने गत 9 जून को स्वीकार कर लिया। बोर्ड ने माना कि याचिकाकर्ता मीणा समुदाय की सदस्य है और उसे पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में एसडीओ के सम्मुख लंबित वाद खारिज हो गया। इसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि एसटी वर्ग की बेटियों के खिलाफ भेदभाव करना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में निर्देश दे चुका है।

1974 से चला आ रहा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है, राज्य सरकार उस क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि 1969 में राज्य सरकार ने उक्त भूमि को पूरी तरह अवाप्त कर सवाईचक करने की कार्यवाही पुन: शुरू कर दी थी और इस दौरान त्रिलोकीनाथ ने किसी अदालत में पूरी जमीन का सवाईचक होने पर आपत्ति नहीं जताई।

विज्ञान शाह ने अदालत को कहा कि वर्ष 1990 में कई तथ्यों को छूपाते हुए और 1979 में दी गई आंशिक राहत का लाभ लेते हुए, मूल पक्षकार त्रिलोकीनाथ ने सिविल जज से एक आदेश अपने पक्ष में कर लिया, जिसके तहत उसे प्रति बीघा 40,000 रुपये तथा 30 प्रतिशत क्षतिपूर्ति और 15 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाए। विज्ञान शाह ने अदालत को कहा कि इस आदेश से पूर्व किसी भी भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने त्रिलोकीनाथ को भूमि का मालिक नहीं माना था।

वहीं मूल पक्षकार त्रिलोकीनाथ के वंशजों की ओर से अदालत में बार बार कहा गया कि उनके पिता ने जमीन मूल जागीरदारों से खरीदी थी और जागीरदार ने ही उन्हें भूमि का स्वामित्व और पट्टा जारी किया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि टी. एन. साहनी केवल 1979 द्वारा दिये गये आंशिक अदालतीए राहत के बल पर उक्त जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर रहे है। अदालत ने कहा कि 'राजस्थान टनेन्सी एक्ट, 1955' के लागू होने के बाद से मूल पक्षकार के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाया गया, जिससे उसे इस अधिनियम के तहत भूमि का कब्जादारी या कास्तकार होने का हक मिल सके। अदालत ने 1979 के आदेश में कही पर भी खातेदारी के अधिकार टी.एन. साहनी के पक्ष में नहीं दिए केवल आंशिक राहत देते हुए कहा था कि पक्षकार के कब्जे में जमीन पर राज्य सरकार कार्यवाही न करें।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष त्रिलोकीनाथ ने उक्त भूमि पर अपना मालिकाना हक होने का दावा पेश नहीं किया और न ही किसी अदालत से उन्हें यह हक मिला। अदालत ने अपने आदेश पर कहा कि त्रिलोकीनाथ किसी भी तरह के मुआवजे के हकदार नहीं है और उन्होनें समय-समय पर धोखाधड़ी और तथ्य छुपाकर भूमि पर मालिकाना हक पाने की कोशिश करी है और जागीरदारी अधिनियम के हटने और राजस्थान टनेन्सी एक्ट के लागू होने से पूर्व एक नाबालिग जागीरदार की जमीन हथियाने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा कि जो पट्टा उनके द्वारा पेश करा गया वह भी कानूनी तौर पर त्रुटियों से भरा हुआ है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि टी.एन. साहनी कभी भी यह साबित नहीं कर पाए कि उन्होने उक्त भूमि पर किसान बनकर हल चलाया। अदालत ने कहा कि 1990 में दिये गये आदेश से जाहिर होता है कि अदालत ने भी त्रिलोकीनाथ द्वारा दिये गये तथ्यों को 'फेस वैल्यू' पर ही सही मान लिया और कभी भी भूमि अधिग्रहण अधिकारी को अदालत में नहीं बुलाया जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि कभी भी त्रिलोकीनाथ की नहीं थी। इसके साथ ही अदालत ने त्रिलोकीनाथ के वंशजों द्वारा मुआवजे की करोड़ों की मांग को भी खारिज कर दिया।

छात्रसंघ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मांगा। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को जवाब के लिए समय देते हुए प्रकरण की सुनवाई टाल दी।

याचिका में बताया कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल विश्वविद्यालय के मामले में इसे मूलभूत अधिकार माना है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मूलभूत अधिकार को किसी कानून या कोर्ट आदेश से छीना नहीं जा सकता। वहीं, लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के तहत, हर साल छात्रसंघ चुनाव कराए जाने चाहिए। कमेटी की सिफारिश के अनुसार सत्र शुरु होने के छह से आठ सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए।

'अन्य देशों को अब अमेरिका की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का असली असर धीरे-धीरे सामने आएगा।

कुछ चीजें, जिनकी कीमतों पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि यूरोपीय वाइन, अब पहले से ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका ने यूरोपीय वाइन को छूट वाली सूची में शामिल नहीं किया, जैसा कि फ्रांस, जर्मनी या इटली के बेहतरीन वाइन उत्पादक चाहते थे।

अमेरिका अपने उत्तरी पड़ोसी, कैनडा को सबसे अधिक सामान्य शुल्कों में से एक से दंडित करना चाहता है। अमेरिका ने कैनडा के निर्यात पर 35 प्रतिशत का शुल्क लगाया, क्योंकि कैनडा, अमेरिका की इच्छानुसार, एक समझौते को अंतिम रूप देने में विफल रहा।

मेक्सिको और चीन को फिलहाल इस मौजूदा दौर में छूट दी गई है, क्योंकि उन दोनों के साथ व्यापार वार्ता अभी चल रही है।

इसी तरह, सबसे प्रतिष्ठित वस्तुओं में से एक, स्विस घड़ियां, भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि स्विट्जरलैंड को सबसे अधिक शुल्क वाली श्रेणियों में रखा गया है। स्विस घड़ियों पर अमेरिका में प्रवेश के लिए 39 प्रतिशत का शुल्क लगेगा। एक ब्रिटिश-आधारित कंपनी, जो यूके और यूएसए में स्विस घड़ियों का यह व्यापार संभालती है, का कहना है कि इससे मांग में कमी आएगी।

भारत को अपेक्षाकृत उच्च शुल्क श्रेणी (25 प्रतिशत) में रखा गया है। तथापि, यदि रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए डॉनल्ड ट्रम्प के दंडात्मक शुल्क भी साथ-साथ शुरू होते हैं, तो भारत को अमेरिकी बाजारों से बाहर निकाला जा सकता है।

भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात, (भारत इन वस्तुओं के सबसे बड़े सप्लायरों में एक है) पर अब 10 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत का शुल्क लगेगा। ताइवान, जो दूसरा प्रमुख निर्यातक है, पर थोड़ी कम दर, यानी 20 प्रतिशत का शुल्क लगेगा। भारत से कपड़ों, जूतों और एक्सेसरीज़ के निर्यात पर भी भारत के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत का शुल्क लगेगा।

शुल्क के वास्तव में प्रभावी होने से पहले एक छोटी सी मोहलत अभी उपलब्ध है। अभी और अक्टूबर के बीच की गई सभी वर्तमान शिपमेंट को नए शुल्कों से छूट मिलेगी। हालांकि, यह एक छोटी सी मोहलत है, क्योंकि इन शिपमेंट को बहुत पहले से बुक किया जाता है, इसलिए इतनी कम अवधि में इनमें बहुत ज़्यादा इज़ाफा नहीं किया जा सकता।

कई देशों ने अब राहत और संतोष की भावना व्यक्त की है कि घोषित शुल्क कम से कम परेशानी वाले हैं। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत का शुल्क लगाया जाएगा, जिसे वह एक जीत मानता है, क्योंकि पहले 41 प्रतिशत की कहीं अधिक दर घोषित की गई थी। शुल्क यह इस देश को इंडोनेशिया, पाकिस्तान या वियतनाम जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के साथ एक सापेक्ष समानता पर रखता है।

शुल्क का अंतिम प्रभाव संतुलित होगा। क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा बाज़ार है तथा निर्यातक, मांग पर शुल्क के प्रभाव की भरपाई के लिए अपनी अंतिम कीमत कम करने का विकल्प चुन सकते हैं।

हालांकि इसकी स्पष्ट सीमाएं हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति में भी, लाभ इतना बड़ा नहीं है कि कोई देश बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए शुल्क की सीमा तक कीमतें कम कर सके।

बेशक, चीन जैसे कुछ देश हैं, जो कमाई के लिए निर्यात की कीमतों में भारी कमी करने का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन यह लंबी अवधि में मदद नहीं करता है, सिवाय इसके कि प्रतिस्पर्धियों की कीमत पर बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखी जाए या बढ़ाई जाए।

सोमवार, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और कोर्ट के गलियारों में काफी भीड़ होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन दिनों इन स्थानों पर बड़ी संख्या में इन्टर्न्स होते हैं और वरिष्ठ वकीलों और नियमित प्रैक्टिश्नरों को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, कई मामलों में, इन्टर्न्स बार के सदस्यों द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी अपनी सीटें खाली नहीं करते हैं, जिससे वकीलों को और असुविधा होती है।"

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908